6- मीडिया प्रमाणन और व्यय अनुवीक्षण समिति (MCMC)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर।

संख्या– 1955 /29क–वि0स0सा0नि0/2017 दिनांक 09 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2016

आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–1502/सी0ई0ओ0–3 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र [Election Ependiture Monitoring System] के घटक टीम के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार **मीडिया प्रमारण एवं व्यय अनुवीक्षण समिति** [Media Certification and Monitoring Committee [MCMC] का गठन किया जाना है। यह समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण कार्य के अतिरिक्त केबिल नेटवर्क सहित सभी प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगा, और सी0डी0 या डी0वी0डी0 में रिकार्ड करेंगा तथा सभी विज्ञापनों, पेड न्यूज, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनैतिक पार्टी के निर्वाचन से सम्बन्धित समाचारों की फोटोकापी भी रखेगा। यदि मीडिया अनुवीक्षण सेल को लगता है कि कोई विज्ञापन समुचित अनुमति के बिना किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है, तो वे तुरन्त रिटर्निंग आफिसर को सूचित करेंगे, और रिटर्निंग आफिसर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगें। जब भी जिला स्तरीय समिति या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति किसी विज्ञापन के लिए अनुमति देती है तो इसे समस्त व्यय विवरण के साथ अनुमति की एक प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी और लेखा टीम को अग्रसारित करनी होगी। विज्ञापन का आवेदन एवं प्रमाणन का आयोग से प्रारूप निर्धारित है। **(अनुलग्नक 27 और 28)**। जिला समिति मीडिया क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन पर नजर रखेंगी और जिला निर्वाचन अधिकारी को रिर्पोट भेजेगी, जिसकी एक प्रति साधारण प्रेक्षक को भी दी जायेगी। यह समिति SMS आदि प्रकरणों को भी देखेगी, और अभ्यर्थियों एवं पार्टियों से सम्बन्धित विज्ञापनों, सम्पादकीय संदेशो, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकार्ड रखेगी। इस समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक 12)** में प्रत्येक अभ्यर्थी से सम्बन्धित रिर्पोट लेखा टीम को देगी, तथा उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर तथा व्यय प्रेक्षक को भी देगी।

पेड न्यूज के प्रकरण में प्रत्याशी द्वारा ऐसे प्रकाशन पर व्यय न दिखाये जाने की दशा में रिटर्निंग आफिसर व्यय प्रेक्षक के सलाह से अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा। जिसकी प्रतिलिपि पेड न्यूज के साथ रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड तथा जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बेबसाइड पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशो के क्रम में आयोग के अनुदेश दिनांक 27 अगस्त, 2012 (अनुलग्नक–70) के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एम0सी0एम0सी0) में निम्नलिखित सदस्य होगे :–

क0सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	मो0नं0
1	जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर	9454417544
2	श्री अजय कुमार सोनकर, मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर	9415360779
3	सुश्री पूजा मिश्रा, उप जिलाधिकारी कैम्पियरगंज/आर0ओ0 320–कैम्पियरगंज विधान सभा	9454416219
4	श्री अनिल कुमार राय, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी गोरखपुर/आर0ओ0 321–पिपराईच विधान सभा	9453778300
5	सुश्री रत्न प्रिया, उप जिलाधिकारी, सदर गोरखपुर/आर0ओ0 322–गोरखपुर शहर वि0स0	9454416215
6	श्री दयाशंकर पाठक, अपर उप जिलाधिकारी सदर गोरखपुर/आर0ओ0 323–गोरखपुर ग्रामीण वि0स0	7310067490
7	श्री दिनेश, उप जिलाधिकारी, सहजनवां/आर0ओ0 324–सहजनवां वि0स0	9454416220
8	श्री अमरेन्द्र वर्मा, उप जिलाधिकारी, खजनी/आर0ओ0 325–खजनी (अ0जा0) वि0स0	9454416221
9	श्री नलिनीकान्त सिंह, उप जिलाधिकारी, चौरीचौरा/आर0ओ0 326–चौरीचौरा वि0स0	9454416218
10	श्री बलराम सिंह, उप जिलाधिकारी, बासगॉव/आर0ओ0 327–बासगॉव (अ0जा0)वि0स0	9454416216
11	श्री गौरव श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी, गोला/आर0ओ0 328–चिल्लूपार विधान सभा	9454416217
12	श्री कुमार हर्ष सिन्हां, वरिष्ठ पत्रकार (इण्डिया टूडे गोरखपुर)	9455744364
13	श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर **सदस्य सचिव**	9453005390

क्रमशः 2 पर।

राक्तानुसार गठित टीम आयोग के तत्सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रतिदिन आख्या से अवगत रायेगे।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
गोरखपुर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर।

संख्या– 1955 /29क–वि0स0सा0नि0–2016 दिनांक 09 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2016.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,गोरखपुर
2– मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर/प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक वि0स0सा0नि0–2017
3– अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, गोरखपुर।
4– प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम–वि0स0सा0नि0–2017
5– समस्त सम्बन्धित अधिकारी को अनुपालनार्थ ।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
गोरखपुर।